



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony  
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : [mpseiaa@gmail.com](mailto:mpseiaa@gmail.com)

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 3411 /SEIAA/22

Date: 17/3/22

प्रति,

मेसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन,  
सोमता, जिला जालोर (राज.)

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/ 249451/2022 - प्रकरण क्र. 8961/2022 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा पत्थर खदान एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 01, ग्राम बेनेगाँव, तहसील - किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन, सोमता, जिला जालोर (राज.) ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 711वीं बैठक दिनांक 09.03.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 705वीं बैठक दिनांक 15.02.2022 में निर्णय लिया गया :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में पत्थर खदान एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 01, ग्राम बेनेगाँव, तहसील - किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 32/डीईआईएए/17 दिनांक 29.06.2017 के माध्यम से श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर जारी की गई है।
- (3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-
  - I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन, सोमता, जिला जालोर (राज.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
  - II. मेसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन, सोमता, जिला जालोर (राज.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 32/डीईआईएए/17 दिनांक 29.06.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2424/खनिज/क्यू.एल./2020 दिनांक 12.06.2020 (वैधता 22.09.2027 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा -11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप-धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में निहित वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय छायाचित्र अक्षांश-देशांतर उल्लेखित कर SEIAA कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 04.03.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई एवं प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 32/डीईआईएए/17 दिनांक 29.06.2017 के माध्यम से श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर पत्थर खदान एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 01, ग्राम बेनेगाँव, तहसील - किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स राजाराम कन्स्ट्रक्शन, सोमता, जिला जालोर (राज.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.06.2017 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी।

1. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,

भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।



(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

क्र.. 3412 /SEIAA/2022 भोपाल  
प्रतिलिपि :-

दिनांक 17/3/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्रीमती प्राची चंद्राकर निवासी-वार्ड नं. 3, समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छ.ग.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।



(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी